12.03.2026

छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी–मार्च, 2026 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च, 2026 (फाल्गुन 22, 1947)

समय 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. निधन का उल्लेख

श्रीमती मंगलीबाई रावटे, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा की पूर्व सदस्य।

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री ओ.पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15–क की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ.एन. रूल/716/2025–कॉमटैक्स सेक्शन (93), दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 पटल पर रखेंगे।

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री पुरन्दर मिश्रा, इंद्र साव, सदस्य, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा में बकुलाही स्थित रियल इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड द्वारा सुरक्षा मानकों के उल्लंघन से प्लांट में कार्यरत मजदूरों की मृत्यु होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, डॉ चरण दास महंत, श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशों की अवहेलना किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में चाकूबाजी की घटनाओं में वृद्धि होने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में गौठान योजना में व्याप्त अनियमितता किये जाने की ओर पशुधन विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(5) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में डॉक्टरों की कमी एवं बदहाल चिकित्सा व्यवस्था होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 2

(6) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में मतांतरण की घटनाओं में वृद्धि होने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(7) डॉ. चरण दास महंत, सदस्य, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालयों के नर्सरी शिक्षिकाओं एवं आया को सेवा से पदमुक्त की कार्यवाही किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(8) श्री रोहित साहू, सदस्य, जिला गरियाबंद के विकासखण्ड फिंगेश्वर के 18 ग्रामों की पेयजल, निस्तारी एवं सिंचाई हेतु सूखा नदी में बैराज निर्माण नहीं होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(9) श्री उमेश पटेल, सदस्य, रायगढ़ जिले में अवैध फ्लाईऐश डंपिंग किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(10) श्रीमती शकुन्तला सिंह पोर्ते, सदस्य, प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत हाथी प्रभावित क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(11) श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य, 428 वन ग्राम से राजस्व ग्राम में परिवर्तन होने के बावजूद कृषकों को मूलभूत सुविधा नहीं मिलने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(12) श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य, जनपद पंचायत अभनपुर में 15 वें वित्त आयोग मद से किये गये वृक्षारोपण कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(13) श्री उमेश पटेल, सदस्य, रायगढ़ जिला में रेत का अवैध उत्खनन एवं भण्डारण किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(14) श्री अटल श्रीवास्तव, सदस्य, रतनपुर–जबलपुर नेशनल हाइवे निर्माण के ठेकेदार द्वारा वर्क ऑडर नियमों का पालन नहीं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(15) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति बागरेकसा को मिलने वाले आर्थिक लाभ से वंचित किये जाने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(16) श्री दिलीप लहरिया, सदस्य, कुवंर दिलीप सिंह जूदेव शासकीय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बिलासपुर को पीपीपी मोड के नाम पर निजी संस्थाओं को सौंपे जाने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(17) श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य, सक्ति जिले में धान संग्रहण केन्द्रों में व्याप्त अनियमितता की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(18) श्रीमती भावना बोहरा, श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन एवं ग्रेच्युटी भुगतान में अनियमितता की ओर कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

क्रमशः 3

(19) श्रीमती भावना बोहरा, सदस्य, गन्ना किसानों के समर्थन मूल्य में वृद्धि, नियत दर पर सरकारी खरीदी व्यवस्था एवं समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित नहीं किये जाने की ओर कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(20) श्री अटल श्रीवास्तव, सदस्य, कोटा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत रेत का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(21) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य, महिला एवं बाल विकास विभाग में गर्म भोजन योजना में अनियमितता किये जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(22) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य, राजनांदगांव जिले के ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी टंकियों एवं पाईप लाईन विस्तार कार्य अधूरा होने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(23) श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य जिला गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शाला भवनों के जर्जर होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(24) श्री धरम लाल कौशिक, सदस्य बिलासपुर जिले में अरपा भैंसाझार परियोजना हेतु भू-अर्जन में की गई अनियमितताओं की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(25) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य डोंगरगढ़ बाईपास/रिंग रोड निर्माण कार्य में विलंब एवं रजिस्ट्री प्रतिबंधित किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(26) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य पत्थरों के अवैध खनन से जल संकट एवं पर्यावरण प्रदूषण होने की ओर मुख्यमंत्री की ध्यान आकर्षित करेंगी।

(27) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य डोंगरगढ़ के परिक्रमा पथ निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(28) श्री दिलीप लहरिया, सदस्य बिलासपुर जिले के अंतर्गत एनटीपीसी सीपत परियोजना से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(29) श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते, सदस्य प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता, सिंचाई सुविधा, एवं रात्रि प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(30) श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य प्रदेश में आर. टी. ई. की 1449 सीटें कम किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(31) श्री देवेन्द्र यादव, सदस्य प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में नकली एवं अमानक दवाईयों की आपूर्ति होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(32) श्री देवेन्द्र यादव, सदस्य बी.एस.पी. क्षेत्र में निवासरत् नागरिकों के व्यवस्थापन हेतु भूमि प्रदाय नहीं किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(33) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य स्टेशन मुढ़ीपार क्षेत्र में बने रेल्वे ओवर ब्रिज निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(34) सर्वश्री लखेश्वर बघेल, विक्रम मण्डावी, सदस्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डिमरापाल, जगदलपुर में व्याप्त अव्यवस्था की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(35) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन संचालित शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं को छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान नहीं होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(36) डॉ. चरण दास महंत, श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य रतनपुर केन्दा, केंवची राष्ट्रीय राजमार्ग में अधिग्रहित की गई किसानों के भूमि का मुआवजा भुगतान नहीं होने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(37) श्री सुशांत शुक्ला, सदस्य जिला जांजगीर–चांपा के गांव कन्हईबंद की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(38) श्री सुशांत शुक्ला, सदस्य प्रदेश में विद्यालयों के लिए सामग्री खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(39) श्रीमती कविता प्राण लहरे, सदस्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(40) श्रीमती कविता प्राण लहरे, सदस्य कोरबा जिले के राताखार टीनाफाई में पट्टाधारियों को भू–माफियाओं के साथ मिलकर बेदखल करने एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा गलत सीमांकन किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(41) श्री अटल श्रीवास्तव, सदस्य कोटा विधान सभा क्षेत्र के आदिवासी परिवारों को वनाधिकार पट्टा प्रदान नहीं किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(42) श्री बालेश्वर साहू, सदस्य सक्ती जिले की ग्राम पंचायत बड़े रबेली में शराब दुकान का संचालन किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(43) श्री संदीप साहू, सदस्य, प्रदेश में स्वास्थ्य केन्द्रों में उपयोग किये जाने वाले वस्त्रों की धुलाई हेतु स्थानीय लोगों को प्राथमिकता नहीं मिलने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(44) श्री इन्द्रशाह मंडावी, सदस्य, प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा खरीदी बिक्री में पारदर्शी एवं नियमों का पालन नहीं किये जाने की ओर ग्रामोद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(45) श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य, जिला जशपुर अंतर्गत नलजल योजनान्तर्गत कार्यों का अपूर्ण होने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(46) श्री सुशांत शुक्ला, सदस्य, श्रमिकों की उपकर की राशि के व्यय में अनियमितता किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 5

(47) श्रीमती कविता प्राण लहरे, सदस्य, बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गिधौरी शिवरीनारायण मार्ग एवं गिरौदपुरी–बया रोड सहित अन्य सड़कों की स्थिति जर्जर होने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(48) श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य, प्रदेश में जल, जंगल और जमीन पर उद्योगपतियों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(49) श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य, महासमुंद जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के मरम्मत कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(50) श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य, महासमुंद जिले के सरायपाली तहसील में बड़े झाड़ के जंगल की अवैध रजिस्ट्री किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(51) श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य, महासमुंद जिले में पावर स्पेयर खरीदी एवं वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(52) श्री इन्द्रशाह मंडावी, सदस्य, जिला कांकेर अंतर्गत विकासखंड कोयलीबेड़ा में मछली पालन योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता किये जाने की ओर मछली पालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(53) श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य, प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों द्वारा जल स्त्रोतों के उपयोग में अनियमितता किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(54) श्री विक्रम मंडावी, सदस्य, किरन्दुल स्थित आर्सेलर मित्तल निप्पान स्टील प्लांट द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट को आवासीय एवं स्कूली क्षेत्रों में अवैध रूप से डंप किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(55) श्री रामकुमार यादव, सदस्य, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभर्थियों को मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(56) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य, जल जीवन मिशन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में उदासीनता एवं अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(57) श्री राजेश मूणत, सदस्य, सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा आबंटित भूखंडों पर औद्योगिक इकाइयों द्वारा उद्योग स्थापित नहीं किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(58) श्री राजेश मूणत, सदस्य, छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉर्पोरेशन द्वारा वर्ष 2022–23 में रिएजेंट खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(59) श्री अनुज शर्मा, सदस्य, प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि होने की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(60) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, सुरजपूर जिला अंतर्गत ओड़गी ब्लॉक के 26 गांवों में विद्युत आपूर्ति नहीं होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 6

(61) श्री राजेश मूणत, सदस्य, शासन द्वारा गृह निर्माण मंडल को आबंटित भूमि का राजस्व रिकार्ड में दूरूस्तीकरण नहीं किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(62) श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य, सांसद खेल प्रतियोगिता में प्रतिभागियों का निष्पक्ष चयन नहीं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (खेलकूद एवं युवा कल्याण) का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(63) श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य, कार्यपालन अभियंताओं को नियम विरूद्ध पदोन्नत किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(64) श्री राजेश मूणत, सदस्य, नियमों का उल्लंघन कर मुद्रण कार्य कराये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(65) श्री इंद्र साव, सदस्य, सोनाडीह सीमेंट प्लांट द्वारा निर्मित रेल्वे लाईन में नहर पुलिया निर्माण नहीं किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(66) श्री ब्यास कश्यप, सदस्य, जिला चिकित्सालय जांजगीर के जीवनदीप समिति मद में अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(67) श्री ब्यास कश्यप, सदस्य, जिला जांजगीर–चांपा में कौशल प्रशिक्षण के नाम पर अनियमितता किये जाने की ओर कौशल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(68) श्री संदीप साहू, सदस्य, जिला बलौदाबाजार भाटापारा के अंतर्गत तीन माइंसों के द्वारा जुर्मानों की राशि जमा नहीं किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(69) श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य, गरियाबंद जिले में जल संकट उत्पन्न होने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(70) श्री ब्यास कश्यप, सदस्य, अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र मड़वा के भू–विस्थापितों को रोजगार प्रदान नहीं किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(71) श्री विक्रम मंडावी, श्रीमती विद्यावती सिदार, श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य, जिला बलरामपुर के विकासखण्ड कुसमी अंतर्गत ग्राम हसपुर बरपानी में मारपीट कर निर्दोष ग्रामीण की हत्या किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(72) श्री सुनील कुमार सोनी, सदस्य, सप्तपर्णी (छातिम) वृक्ष के रोपण पर रोक नहीं लगाये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(73) श्री संदीप साहू, सदस्य, जिला पंचायत बलौदाबाजार–भाटापारा में वित्तीय वर्ष 2023–24 के 15 वें वित्त आयोग की राशि में अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(74) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य, राजनांदगांव जिला अंतर्गत बेनामी कंपनी द्वारा अवैध जर्दा गुटखा का निर्माण किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(75) डॉ. चरणदास महंत, सदस्य, रायपुर के माना–तूता में पेड़ों की अवैध कटाई किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(76) डॉ. चरणदास महंत, श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य, पेण्ड्रा बायपास मार्ग निर्माण के प्रभावित किसानों को मुआवजा भुगतान नहीं किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(77) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, सदस्य, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में जल जीवन मिशन योजना के कार्यों में अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) का ध्यान आकर्षित करेंगी।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री भोलाराम साहू, सदस्य, खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम जादुटोला से देहान तक सड़क निर्माण करने,

(ii) घोटिया जलाशय की नाली में कांक्रीटीकरण करने,

(2) श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य, डौण्डीलोहारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भरदा जलाशय के गेट का जीर्णोद्धार करने,

(3) श्री रिकेश सेन, सदस्य, वैशाली नगर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कर्मा चौक से भगवा चौक होते हुए गदा चौक तक फ्लाईओवर निर्माण करने,

(4) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, बिल्हा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम मंगला पा में प्राथमिक शाला का माध्यमिक शाला में उन्नयन करने तथा

(ii) ग्राम सरवानी में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने **के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।**

6. वित्तीय वर्ष 2026–2027 की अनुदान मांगों पर चर्चा

निर्धारित समय

1 घंटा (1) **श्री टंकराम वर्मा, राजस्व मंत्री के विभागों से संबंधित–**

मांग संख्या 8 भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन

मांग संख्या 9 राजस्व विभाग से संबंधित व्यय

मांग संख्या 58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

मांग संख्या 35 पुनर्वास

मांग संख्या 44 उच्च शिक्षा

1 घंटा (2) **श्री गजेन्द्र यादव, स्कूल शिक्षा मंत्री के विभागों से संबंधित–**

मांग संख्या 27 स्कूल शिक्षा

मांग संख्या 29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन

मांग संख्या 56 ग्रामोद्योग

क्रमशः 8

निर्धारित समय

1 घंटा (3) **श्री गुरू खुशवंत साहेब, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री के विभागों से संबंधित–**

मांग संख्या 15 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

मांग संख्या 49 अनुसूचित जाति कल्याण

मांग संख्या 53 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

मांग संख्या 64 अनुसूचित जाति उपयोजना

मांग संख्या 47 कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

7. नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

दिनांक 27 फरवरी, 2026 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित पर्यटन मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–07 (क्रमांक–879) के उत्तर से उद्‌भूत विषय पर श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

8. अशासकीय संकल्प

30 मिनट (1) श्री रिकेश सेन, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि ''भिलाई नगर स्थित सेक्टर–09 हॉस्पिटल को सर्वसुविधायुक्त मल्टी स्पेशियालिटी हॉस्पिटल के रूप में पुनःस्थापित किया जाये।''

30 मिनट (2) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

सदन का यह मत है कि ''आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की रहवासी–बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के लिये संचालित आश्रम–छात्रावासों का सुदृढ़ीकरण करने हेतु केन्द्र सरकार से विशेष सहायता राशि की मांग की जाये।''

30 मिनट (3) श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

सदन का यह मत है कि ''विभिन्न विभागों के रिक्त पदों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से पदों की पूर्ति की जाये।''

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,
दिनांक 12 मार्च, 2026